न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवाम0प्र0

प्र0क0 R.5006-P/16

Rs.20/-

मो0 साबिर पिता स्व0 अहमद बक्स उम्र 48 वर्ष पेशा नौकरी निवासी श्रम कल्याण आफिस के पास घोघर मोहल्ला पचमठा रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ——अपीलाट

बनाम

1— श्रीमती राधा जाधव पत्नी दिलीप जाधव उम्र 41 वर्ष पेशा घरूकार्य मोहल्ला तरहटी क्वापरेटिव बैक के पीछे रीवा, जिला रीवा म0प्र0

2— प्रहलाद ताम्रकार पिता स्व0 भगवानदास ताम्रकार निवासी जानकी पार्क लोहिया मार्ग रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

3— मृतक मो0 सलीम पिता स्व0 चाद बक्स के वारिस :—

क— वेवा शकीला पत्नी स्व0 मो0 सलीम उम्र 50वर्ष

ख— मेहरूनिशा पुत्री स्व0 सलीम उम्र 23 वर्ष

ग— कमरूननिशा पुत्री सलीम उम्र 20वर्ष

घ— खुशी पुत्री सलीम उम्र 10वर्ष

ड— बारिश वक्स पुत्र सलीम उम्र 08 वर्ष

च— पलक वक्स पुत्री सलीम उम्र 04 वर्ष

छ— छोटू पुत्र सलीम उम्र 01 वर्ष

श्री रामप्रजापति तिवारी के द्वारा आज दिनांक 6-1-16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

रेस्पा0 क0 घड च छ नाबलिक जरिये बली संरक्षिका मां वेवा शकीला पत्नी स्व0 मो0 सलीम सभी निवासी मोहल्ला तरहटी क्वाररेटिव बैक के पीछे गली में फोर्ट रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

4— वेवा श्रीमती शकीना वेगम पत्नी स्व0 चाद वक्स मृतक वारिस स्व0 मो0 इकबाल जरिये वारिस

क— शकीला पत्नी स्व0 मो0 इकबाल

ख— जुगनू पुत्री स्व0 मो इकबाल

ग– लाली पुत्री स्व0 मो0 इकबाल

घ– मो0 इशरार तनय स्व0 चांद बक्स

ड – मृतक टीपू तनय स्व0 चाद बक्स

सभी निवासी मोहल्ल तरहटी क्वापरेटिव बैक के पीछे गली में फोर्ट रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

5– मृतक अहमद वक्स तनय स्व0 ईलाही वक्स के वारिस –

क– मो0 इबरार पिता स्व0 अहमद बक्स उम्र 55 वर्ष

ख– मो0 इदरीश पिता स्व0 अहमद बक्स उम्र 52 वर्ष

6– जहां आरा पुत्री स्व0 अहमद वक्स

7– जुलेखा आरा पुत्री स्व0 अहमद बक्स

दोनो निवासी मोहल्ला तरहटी क्वापरेटिव बैक के पीछे गली में फोर्ट रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

8– मो0 रमजान बक्स मृतक के वारिसान

क– श्रीमती सरवरी बेगम पत्नी स्व0 रमजान बक्स

ख– श्रीमती रूकशाना बेगम पत्नी स्व0 रमजान बक्स

ग– मो0 इस्लाम (माई डियर) पुत्र स्व0 रमजान बक्स

घ– मो0 बाबू भाई (हाफिज़ मिस्त्री) पुत्र रमजान बक्स

चारो निवासी सोनी बिल्डिग के सामने सिटी कोतवाली के पास फोर्ट रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

9– मो0 सलीम (मुन्ना पेन्टर) पुत्र स्व0 वेवा आयशा बेगम निवासी निवासी कुठला रूहनिया मोहल्ला नदिया के पास मनिहारी मस्जिद के पास जिला बादा (उ0प्र0)

10– श्रीमती सुल्ताना बेगम (जहां आरा) पुत्री स्व. वेवा आयशा बेगम निवासी कुठला रूहानिया मोहल्ला नदिया के पास मनिहारी मस्जिद के पास जिला बादा (उ0प्र0)

11– अब्दुल रज्जाक तनय स्व0 इलाही वक्श निवासी मकान नं0 32 /14 तरहटी क्वापरेटिव बैक के पीछे गली में फोर्ट रोड रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक गण

12– शासन म0प्र0

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमंक 16 /अपील /15–16 निर्णय दिनांक 07–12–15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

1– आराजी नं0 1795/1 रकवा 1000 वर्गफिट स्थित मोहल्ला तरहटी रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 में स्थिति है जिसे निगरानी कर्ता के बाबा स्व0 ईलाही बक्स ने विन्ध्य हाई कोर्ट से सत्र 1949 में उक्त जमीन प्राप्त की थी। उनके चार पुत्र एक पुत्री थी जिनमें वारिसाना नामान्तरण नजूल तहसीलदार द्वारा आदेश कमांक 22/अ6/2000–01 दिनांक 28–02–2011 को हो गया था। जिसमें चारो पुत्र अहमद बक्स, रमजान बक्स, रज्जाक बक्स, एवं चांद बक्स एवं पुत्री आयशा बेगम को 1/5 भाग यानी 200–200 वर्गफिट प्राप्त हुआ था। जिसमें स्व0 स्व0 ईलाही बक्स के एक पुत्र स्व0 चांद बक्स के पुत्र मो0 सलीम एवं पुत्र वधु सकीना बानों द्वारा बिना अधिकार के अपने नाम नामान्तरण कराये बिना अनावेदक क0 1 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा बिकी कर दिया जब कि उसका कोई अधिकार नहीं था इसके बाद भी स्व0 चाद बक्स के 4 लडके व एक पत्नी थी इनका हिस्सा लगभग 40–40 वर्गफिट होता है जो कि एक फर्जी व कूटरचित कार्यवाही है । जिस पर दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व में श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नजूल द्वारा विधिवत स्व0 स्व0 ईलाही बक्स के सभी पुत्रों व पुंत्री का वारिसाना नामान्तरण कर राजस्व रिकार्ड

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5006–दो/16 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५-7-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामउजागर तिवारी द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 7.12.15 के विरुद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती राधा जाधव की ओर से श्री विजय कुमार मिश्र द्वारा नजूल तहसीलदार रीवा में आवेदन प्रस्तुत किया तथा जिसे उनके द्वारा निरस्त किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 30.7.13 को अपील स्वीकार की गई। इसके आदेश के विरुद्ध आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 7.12.15 को खारिज हुई इसी के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी 1795/1 रकवा 1000 वर्गफीट स्थित मोहल्ला तरहटी रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 में स्थित है। उक्त भूमि आवेदक के बाबा स्व0 ईलाही बक्स ने विन्ध्य हाई कोर्ट से सन् 1949 में उक्त जमीन प्राप्त की थी। उनका आगे यह तर्क किया गया है कि स्व0 इलाही बक्स की भूमि का वारिसान नामान्तरदण उनके पुत्र व पुत्रियों के नाम ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम होने से आवेदक को इस न्यायालय में निगरानी करना पड़ी। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसाना सही ढंग से विचार नहीं किया गया है। अनावेदक 1,2 के प्रभाव में आकर इनके द्वारा किये गये पूर्व में फर्जी व कूट रचित दस्तावेज निष्पादित करकाने और कूट रचित तरीके से अपने नाम नामान्तरण कराना सही मानते हुये आदेश पारित किया है जो विधि प्रक्रिया के विपरीता होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4–आवेदक अधिवक्ता का तर्क श्रवण किये तथा उनके द्वारा वही तर्क दोहराये है जो उनके द्वारा

निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया।

5-नजूल अधिकारी ने अपने आदेश में मुख्यतः यह उल्लेख किया है कि नजूल प्लाट नम्बर 1795/1 रकवा 1000 वर्ग फिट के भूमिस्वामी अहमद बक्स थे और सलीम खान पिता चांद बक्स एवं सकीना पत्नी चांद वक्स को उपरोक्त भूमि सन् 1980 के आपसी बटवारे में प्राप्त होना पाया जाता है ।उपरोक्त दोनों ने कमशः भूमि 207 वर्ग फीट राधा जाधव को एवं 300 वर्ग फीट भूमि प्रहलाद ताम्रकार के जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेच दिया फलतः प्लाट नम्बर 1795/1 रकवा 1000 वर्ग फिट के अंश रकवा 207 वर्ग फिट व 300 वर्ग फिट का नामांतरण रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। चूंकि विकय रजिस्टर्ड विकय पत्र से हुआ है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र को सही व गलत ठहराने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नजूल अधिकारी द्वारा किये गये नामांतरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार अपने स्वत्व का निराकरण /रजिस्टर्ड विकयपत्र की वैधानिकाता का निराकरण

सक्षम न्यायालय से कराने के लिये स्वतंत्र है।
6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त का आदेश दिनांक 7.12.15 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। परिणामतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य